न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 33/2022
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या 74/2022
राज्य बनाम

मु0अ0सं0 18/2022
धारा 295ए,509 भा0दं0सं0
थाना कोतवाली नगर, हरिद्वार।

....

राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारीः– श्री रिंकू वर्मा।
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ताः– श्री उत्तम सिंह चौहान।

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र

दिनांक 19.01.2022

WWW.LIVELAW.IN

प्रार्थी/अभियुक्त यति नरसिंहानन्द पुत्र श्री राजेश्वर दयाल त्यागी, निवासी डासना जेल के सामने, डासना देवी मंदिर, थाना मसूरी, जिला गाजियाबाद, उ0प्र0, जो उपरोक्त मामले में दिनांक 16.01.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अभियोजन अधिकारी और प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को, जरिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (गूगल मीट) से माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के नोटिफिकेशन संख्या 02/यू.एच.सी./एडमिन बी/2022 दिनांकित 07/01/2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुपालन में सुना गया।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पेश कर संक्षेप में कथन किया गया है कि वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक समय व स्थान अंकित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी सम्प्रदाय के विरूद्ध क्या अमर्यादित कथन किया गया और किसकी भावनाओं को ठेस पहुंची, ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। प्रार्थी दिनांक 16.01.2022 से जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी गंभीर रूप से बीमार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना

की गयी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया और अपराध को अजमानतीय व गंभीर प्रकृति का बताते हुये जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

WWW.LIVELAW.IN

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा थाने पर तहरीर इस आशय से प्रस्तुत की कि सोशल मीडिया पर यति नरसिंह नन्द द्वारा दूसरे धर्म की महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक/अपमान जनक टिप्पणियां एवं महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पडियां की गयी, जिससे महिलाओं की भावनों को ठेस एवं आहत हुई है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार वादनी द्वारा ट्वीटर एवं यू–ट्यूब पर वायल दो वीडियो लिंग उपलब्ध कराये, जिसमें प्रतिवादी यति नरसिंहानन्द मुस्लिम महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक/अपमानजक टिप्पणी करते हुये कह रहा है कि उन्होनें सब कुछ कब्जा लिया है, उन्होनें भारतीय जनता पार्टी कब्जा ली है, आर0एस0एस0 कब्जा लिया है, उनकी औरते इस्लाम की सेवा के लिये किसी के भी नीचे बिछ जाती है, वो उनकी बहुत बडी ताकत है, आदि शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में धारा 41ए द0प्र0सं0 का नोटिस दिये जाने के उपरांत भी उसके द्वारा बार–बार धार्मिक सौहार्द/माहौल को खराब कर साम्प्रदायिक भावनों को भडकाने सम्बन्धित टिप्पणियां सोशल मीडिया के माध्यम से देकर प्रेषित की जा रही है, जिससे जनपद व थाना क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक झगडे होने एवं धार्मिक भावनाये भडकने से गंभीर अपराधों के होने की प्रबल सम्भावनायें है। अभियेाजन प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त द्वारा सोशल मीडिया ट्वीटर व यू–ट्यूब पर मुस्लिम महिलाओं के विरूद्ध आपत्तिजनक/अपमानजकन टिप्पणियां करने का अभियोग है। थाने प्राप्त आख्या के साथ अभियुक्त का अपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध 11 मुकदमे दर्ज होना दर्शित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

WWW.LIVELAW.IN

मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये जाने बिना अभियुक्त की जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त यति नरसिंहानन्द पुत्र श्री राजेश्वर दयाल त्यागी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

WWW.LIVELAW.IN

आदेश NJDG पर अपलोड किया जाये।

(मुकेश चन्द्र आर्य)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।